रजिस्ट्री सं० डी०—(डी०एन०)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 10, 1984 (फाल्गुन 20, 1905)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 10, 1984 (PHALGUNA 20, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 3
[PART I—SECTION 3]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 1984

सं० 4, नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 1984 —भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय किया गया है। इस समिति का गठन और कार्य इस प्रकार होंगे :—

गठन

रक्षा राज्य मंत्री —अध्यक्ष
गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय —सदस्य
श्रम राज्य मंत्री, श्रम मंत्रालय
उप मंत्री, वित्त मंत्रालय
श्री पी० ए० संगमा, उप मंत्री (वाणिज्य)
(उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)
श्री वायलार रवि
गृह मंत्री, केरल (दक्षिण)
श्री विलास राव बी० देशमुख
राज्य मंत्री, गृह, महाराष्ट्र
(पश्चिमी क्षेत्र)
श्री ब्रह्मदत्त,
वित्त और योजना मंत्री, उत्तर प्रदेश
श्री शीश राम ओला,
राज्य मंत्री, राजस्थान
एयर वाइस मार्शल एच०एल० कपूर (सेवानिवृत्त)
वाइस एडमिरल एस०एम० शर्मा (सेवानिवृत्त)
जनरल पी०पी० कुमारमंगलम (सेवा निवृत्त)
श्री एन०सी० पराशर, संसद सदस्य
(हिमाचल प्रदेश)
श्री मदन भाटिया, संसद सदस्य (उ०प्र०)
श्री राजेश पायलट, संसद सदस्य (राजस्थान)
श्री बी०वी० देसाई, संसद सदस्य (कर्नाटक)
भारतीय भूतपूर्व सैनिक लीग का एक प्रतिनिधि
महानिदेशक, पुनर्वास
मेजर जनरल एस० कृष्णामूर्ति (सेवा निवृत्त) —सदस्य सचिव

सौंपे गए कार्य

(i) समिति भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्स्थापन, पुनर्वास और कल्याण के लिए अब तक किए गए काम की पुनरीक्षा करेगी और इन क्षेत्रों से किए जाने वाले और उपायों के बारे में सरकार को सुझाव देगी, साथ ही गैर-सरकारी क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के नियोजन में वृद्धि करने के लिए और नौकरी के क्षेत्र के साथ-साथ स्व रोजगार परियोजनाओं के जरिए उनका कृषि, उद्योग तथा अन्य कार्यों समेत अन्य लाभदायक धंधों में पुनर्वास करने के लिए उचित सिफारिश करेगी।

(ii) समिति इन कारणों की जांच करेगी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए किए गए आरक्षित पदों को पूरी तरह से क्यों नहीं भरा जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाव देना कि सरकारी और सरकारी क्षेत्र सगठनों राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के अधीन किए गए आरक्षणों का पूरी तरह से उपयोग किया जाए।

(iii) भूतपूर्व सैनिकों के नियोजन की शर्तों और विशेषकर वे शर्तें जो बैंकों, और सरकारी क्षत्र उपक्रमों में नियोजन के लिए लागू होती है, की जांच करना तथा उनके संबंध में सिफारिश करना।

2. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। यह भारत में किसी भी ऐसे स्थान का दौरा कर सकती है जो इसके कार्य के लिए आवश्यक समझा जाए।

3. समिति आवश्यकता समझने पर किसी भी व्यक्ति या संगठन से परामर्श कर सकती है।

4. समिति अपनी कार्यविधि स्वयं ही तैयार करेगी और ऐसी सूचना मांग सकती है और ऐसा साक्ष्य उपलब्ध कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

5. समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष और सदस्य
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय
3. राष्ट्रपति का सचिवालय
4. प्रधानमंत्री का कार्यालय
5. मंत्रिमंडल सचिवालय
6. योजना आयोग
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय
8. निदेशक, जन-सम्पर्क, रक्षा मंत्रालय
9. महानियंत्रक, रक्षा लेखा और सभी नियंत्रक रक्षा लेखा।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

फा० स० 7(2)/83/रक्षा (पुनर्वास)
टी० के० बनर्जी, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनाक 2 फरवरी 1984

संकल्प

सं० 5—भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 3 में 25-10-80 को प्रकाशित और समय-समय पर सशोधित रक्षा मंत्रालय के संकल्प संख्या 2(18)/77/डी० (हिन्दी-1), दिनाक 3 अक्तूबर, 1980 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति का गठन और कार्य इस प्रकार होंगे :—

गठन

1.	रक्षा मंत्री	अध्यक्ष
2.	रक्षा राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	रक्षा सचिव	सदस्य
4.	सचिव, रक्षा उत्पादन	सदस्य
5.	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार	सदस्य
6	राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
7.	अपर सचिव, रक्षा विभाग	सदस्य
8.	अपर सचिव, रक्षा पूर्ति विभाग	सदस्य
9	वित्त सलाहकार, रक्षा मंत्रालय (वित्त)	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव (ई)	सदस्य
11.	संयुक्त सचिव (ए एल)	सदस्य
12.	संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग)	सदस्य
13.	सह थलसेनाध्यक्ष	सदस्य
14.	सह नौसेनाध्यक्ष	सदस्य
15.	उप वायुसेनाध्यक्ष	सदस्य
16.	महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां/अध्यक्ष, आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड	सदस्य
17.	सी०सी०आर० एण्ड डी०	सदस्य
18.	डी जी, एन सी सी	सदस्य
19.	संयुक्त सचिव (पी एण्ड सी)	सदस्य-सचिव

गैर-सरकारी सदस्य

20. श्री जयराम वर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा)
21. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी, संसद सदस्य (लोक सभा)
22. श्री अक्षय पंडा, संसद सदस्य (राज्य सभा)
23. श्री पी० डी० जादव, संसद सदस्य (राज्य सभा)
24. श्रीमती कृष्णा शाही, संसद सदस्य (लोक सभा)
25. डा० सत्येन्द्र चतुर्वेदी, उपप्राचार्य एवं स्नातकोत्तर अध्यक्ष हिन्दी विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर (राजस्थान)
26. डा० वी० एन० फिलिप, प्रोफेसर तथा हिन्दी विभाग के अध्यक्ष मार्थोमा कालेज, तिरुवल्ला, केरल।
27. श्री प्रद्युम्न नारायण मिश्र "प्रदीप" 10 कोआपरेटिव कालोनी, बोकारो स्टील सिटि, बोकारो
28. अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्
29. श्री के० राधाकृष्णमूर्ति, प्रधानसचिव, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, त्यागराज नगर, मद्रास
30. श्री प्रभात शास्त्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद

कार्य

2. इस समिति का कार्य रक्षा मंत्रालय और उसके संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित मामलों में सलाह देना होगा।

कार्यकाल

3 समिति का कार्यकाल निम्नलिखित व्यवस्था के साथ उसके गठन की तारीख से 3 वर्ष होगा :—

1. जो ससद सदस्य समिति के सदस्य है वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।

2 समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे।

3 यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण समिति का कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

विविध

4. (1) समिति आवश्यकता समझने पर अतिरिक्त सदस्यो को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञो को आमंत्रित कर सकेगी अथवा उप समितियां नियुक्त कर सकेगी।

(2) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन समिति अपनी बैठके किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।

यात्रा व अन्य भत्ता

5. समिति की बैठको में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरो पर यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदशो के प्रशासनो, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, ससद कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागो को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए।

फा०सं०-2(28)/83/डी० (हिन्दी-1)
असीम चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th March 1984

RESOLUTION

No. 4, New Delhi, the 14th February 1984.—It has been decided to set up a High Level Committee to go into the various problems of ex-servicemen. The composition and terms of reference of the Committee will be as follows :—

COMPOSITION

Chairman

Raksha Rajya Mantri

Members

Minister of State,
Ministry of Home Affairs

Minister of State,
Ministry of Labour

Deputy Minister,
Ministry of Finance

Shri P. A. Sangma,
Deputy Minister, Commerce—
(N. E Region)

Shri Vayalar Ravi,
Home Minister, Kerala
(South)

Shri Vilasrao D. Deshmukh,
Minister of State for Home,
Maharashtra
(Western Region)

Shri Brahma Dutta,
Minister of Finance &
Planning, U.P.

Shri Sheesh Ram Ola,
Minister of State, Rajasthan

Air Vice Marshal H. L Kapur
(Retd)

Vice Admiral S H. Sarma
(Retd)

General P. P. Kumaramangalam,
(Retd)

Shri N. C Parashar, MP
(H.P.)

Shri Madan Bhatia, M.P. (U P.)

Shri Rajesh Pilot, M P. (Rajasthan)

Shri B V Desai, M P. (Karnataka)

One representative of Indian Ex-Services League

Director General Resettlement

Member Secretary

Major General S. Krishnamurthy
(Retd)

TERMS OF REFERENCE

(i) The Committee will review the work done so far for the rehabilitation, resettlement and welfare of ex-servicemen and suggest to Government additional measures to be taken in these fields; and make suitable recommendations to increase the employment of ex-servicemen in all sectors including the private sector and to re-settle them in other gainful occupations including agriculture, industry and other activities in the service sector as well as through self-employment projects.

(ii) To examine the reasons why reservations made for ex-servicemen are not fully subscribed to and to suggest measures to ensure that reservations in Government and public sector organisations State and Central are fully utilised.

(iii) To examine the terms and conditions of employment of ex-servicemen and in particular those applicable to employment in banks, and public sector undertakings and to make recommendations in connection therewith.

2. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi It may visit such places in India as considered necessary for its work

3 The Committee will be free to consult any individual or organisation that it may deem desirable to consult.

4 The Committee will evolve its own procedure and may call for such information and obtain such evidence as it may consider necessary.

5. The term of the Committee will be for one year.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. The Chairman and Members of the High Level Committee.
2. All Ministries of Government of India.
3. President's Secretariat
4. Prime Minister's Secretariat
5. Cabinet Secretariat
6. Planning Commission
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat
8. Director Public Relations, Ministry of Defence
9. Controller General of Defence Accounts and all Controllers of Defence Accounts

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

File No. 7(2)/83/D(Res)
T K BANERJI, Jt Secy.

New Delhi, the 2nd February 1984

RESOLUTION

No. 5.—In supersession of Resolution No. 2(18)/77 dated 3rd Oct 1980, amended from time to time, published in the Gazette of India, Part I Section 3 dated 25th Oct 1980, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Defence. The composition and the functions of the Samiti will be as follows :—

COMPOSITION

Chairman

1. Raksha Mantri

Vice-Chairman

2. Raksha Rajya Mantri

Members

3. Defence Secretary
4. Secretary (Defence Production)
5. Scientific Adviser to the Minister of Defence
6. Secretary, Deptt of Official Language and Hindi Adviser to the Govt of India
7. Additional Secretary, Deptt of Defence
8. Additional Secretary, Deptt of Defence Supplies
9. Financial Adviser, Min of Def (Finance)
10. Joint Secretary (E)
11. Joint Secretary (AL)
12. Joint Secretary (OL), Deptt of Official Language
13. Vice Chief of Army Staff
14. Vice Chief of Naval Staff
15. Dy Chief of Air Staff
16. DGOF/Chairman, Ordnance Factory Board
17. Chief Controller of Research and Development
18. Director General, National Cadet Corps

Member Secretary

19. Joint Secretary (P&C)

Non-Official Members

20. Sh. Jai Ram Verma, M.P. (Lok Sabha)
21. Sh. M. Ram Gopal Reddy, M.P. (Lok Sabha)
22. Sh. Akshay Panda, M.P. (Rajya Sabha)
23. Sh. P. D. Jadav, M.P. (Rajya Sabha)
24. Smt. Krishna Sahi, M.P. (Lok Sabha)
25. Dr. Satyendra Chaturvedi, Vice Principal and Head of Hindi Deptt Govt Art College, Alwar (Rajasthan)
26. Dr. V. N. Philip, Prof and Head of Hindi Deptt, Marthoma College, Tiruwalla, Kerala-3.
27. Sh. Pradyumn Narain Mishra Pradeep, 19, Co-Operative Colony, Bokaro Steel City, Bokaro.
28. President, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad.
29. Sh. V. Radhakrishnamurthy, General Secretary, Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras
30. Sh. Prabhat Shastri, Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad.

Functions

The Samiti shall advise the Ministry of Defence and its attached and subordinate offices on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes.

Tenure

The tenure of the Samiti will ordinarily be three years from the date of the constitution of the Samiti, provided that :—

(i) Members of Parliament, who are members of the Samiti shall cease to be members of the Samiti as soon as they cease to be Members of Parliament.

(ii) The ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti.

(iii) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation or death of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residual period of the tenure of three years.

General

(i) The Samiti may appoint sub-Committees, co-opt additional members and also invite experts to attend its meetings as may be necessary for assisting it in the discharge of its functions.

(ii) The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other place also.

Travelling and other allowances

The non-official members of the Samiti will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by the Govt. of India from time to time.

ORDER

ORDERED that copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administration, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Deptt of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General, Accountant General Central Revenues and all the Ministries and Departments of the Govt. of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

File No. 2(28)/83/D(Hindi-1)
ASHIM CHATTERJI, Jt Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984